



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:-

138 / 12-1

चकराता, दिनांक 12 जुलाई 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय-

टी0एस0पी0 के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी को घोषणा सं०-90/2019 के अन्तर्गत जनपद-देहरादून के विकासखण्ड व विधानसभा क्षेत्र चकराता के तहसील त्यूनी में डांगूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग "डांगूठा से मुण्डाली" तक का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव हार्ड प्रति व ऑनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.06.2022 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण की छायाप्रति संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित क्षेत्र में देवदार, फर-स्पूस व बांज आदि के बहुमूल्य वृक्ष स्थित हैं। यह अत्यधिक जैवविविधता क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में (Rare Endangered Threatened) पादप जैसे थुनेर, चिरायता आदि प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को वर्ष 2004-05 में औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (MPCA) के रूप में विकसित किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि मुण्डाली क्षेत्र शीत ऋतु में 03-04 महीने बर्फ से आच्छादित रहता है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर वनों के संरक्षण के हित में उक्त मोटर निर्माण मार्ग कार्य करना उचित नहीं रहेगा। प्रकरण पर दिशा-निर्देश देना चाहें एवं उच्च स्तर को भी प्रकरण से अवगत कराना चाहें। प्रस्ताव की एक मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार


भवदीया,


(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।


(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता